कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2020–21/ दिनांक : 09.11.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय)।

विषय :– उत्तर मैट्रिक छात्रवृति पोर्टल पर प्राप्त छात्रवृति के आवेदन पत्रों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करने एवं स्थानान्तरित संस्था प्रधान की आई.डी. तत्काल स्थानान्तरण करने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 08.10.2020 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 30.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उतर मैट्रिक छात्रवृति योजना में वर्तमान में विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों के भरने एवं वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इन आवेदन पत्रों को संस्थाप्रधान द्वारा अधिकतम 03 सप्ताह (21 दिन) में छात्रवृति वेरिफाई नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः अग्रेषित हो जाते है। इसी प्रकार संस्थाप्रधान द्वारा वेरिफाई आवेदन पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी की आई.डी. पर अधिकतम 03 सप्ताह (21 दिन) में स्वतः अग्रेषित हो जाते हैं। इस प्रकार के स्वतः अग्रेषित आवेदन पत्रों को (Deemed Approved) डिम्ड एप्रूव्ड मानकर छात्रवृति राशि का भुगतान कर दिया जायेगा तथा गलत भुगतान होने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी उतरदायी होगा।

इसके अतिरिक्त आप अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि जिस संस्था प्रधान का स्थानान्तरण हो जाता है वो सबसे पहले अपनी एस.एस.ओ. आई.डी. में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति से संबंधित डेटा को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) के माध्यम से पूर्व के विद्यालय के किसी अधिकारी/कार्मिक से मेप करवा कर ही नये विद्यालय में कार्यग्रहण करें।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) द्वारा किसी विद्यालय की मैपिंग करने पर New ID already लिखा हुआ आने पर पहले नई आई.डी. डालकर यह चैक करें कि नई आई.डी. किस विद्यालय की है, तत्पश्चात उस एस.एस.ओ. आई.डी. में से डेटा उसी विद्यालय के किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी की आई.डी. पर मेप करें।

इसे सर्वोच्य प्राथमिकता प्रदान करें।

09.11.2020

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

09.11.2020

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

E:\Group-B\Group B\Nafees\Post Matric\Letter.docx